

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

दावा-सह-निर्वहन प्रपत्र

(बीमाकृत सदस्य की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर अधिमानतः प्रस्तुत किया जाना है)

नामांकित व्यक्ति द्वारा भरा जाना

(या यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो उसका/उसकी नियुक्त संरक्षक व्यक्ति¹ और नामांकन न होने की स्थिति में या नामांकित व्यक्ति की बीमित सदस्य से पूर्व मृत्यु हो जाने पर, दावेदार² बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी)

भाग 1. PMJJBY के तहत दर्ज मृतक सदस्य का विवरण

(1) नाम:

(2) पता:

(3) बैंक खाता संख्या:

(4) मृत्यु की तिथि:

(5) मृत्यु का कारण (दुर्घटना ३, या कोई अन्य: कृपया निर्दिष्ट करें):

(6) मृत्यु के प्रमाण के रूप में संलग्न दस्तावेज (या, योजना में शामिल होने के ४५ दिनों के भीतर दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, आकस्मिक मृत्यु का प्रमाण)

(7) आधार संख्या ६:

(8) आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन)6:

भाग 2. नामांकित व्यक्ति का विवरण:

(या यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो उसका/उसकी नियुक्त संरक्षक व्यक्ति¹ और नामांकन न होने की स्थिति में या नामांकित व्यक्ति की बीमित सदस्य से पूर्व मृत्यु हो जाने पर, दावेदार² बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी)

1. नामांकित व्यक्ति का नाम:

2. नामांकित व्यक्ति की आयु:

3. यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो नियुक्त संरक्षक व्यक्ति का नाम¹:

4. नामांकन न होने की स्थिति में या नामांकित व्यक्ति की बीमित सदस्य से पूर्व मृत्यु हो जाने पर दावेदार² का नाम:

5. बीमित सदस्य की मृत्यु के पूर्व नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में नामांकित व्यक्ति का मृत्यु का प्रमाण:

6. नामांकित व्यक्ति /दावेदार का मृतक के साथ संबंध:
7. संपर्क मोबाइल नंबर:
8. संपर्क ईमेल पता:
9. संपर्क पता:
10. नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक /दावेदार का विवरण (जैसा भी मामला हो):

(1) बैंक खाते का विवरण जिसमें दावा राशि प्रेषित की जानी है:

(ए) खाता संख्या:

(बी) बैंक का नाम:

(सी) शाखा का आईएफएस कोड:

(2) आधार संख्या ६:

(3) आयकर खाता संख्या (PAN) 6:

(4) पहचान के प्रमाण के रूप में संलग्न केवाईसी दस्तावेजों ७ का विवरण :

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर प्रस्तुत विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इस दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेज वास्तविक हैं, और मैंने पहले इस मृतक सदस्य के संबंध में पीएमजेजेबीवाई के तहत देय राशि का दावा मृतक के इस खाते अथवा किसी भी बैंक या डाकघर खाते के अंतर्गत नहीं किया है।

तारीख:

(नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक 1/दावेदार2 के हस्ताक्षर)

अनुलग्न किए गए दस्तावेज:

(1) बीमित सदस्य की मृत्यु का प्रमाण ४ (दुर्घटना के कारण मृत्यु का प्रमाण यदि मृत्यु पॉलिसी में शामिल होने / फिर से शामिल होने के ४५ दिनों के भीतर है)

(2) मृतक सदस्य और नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक का आधार संख्या और आयकर खाता संख्या (PAN) ६

(3) नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक 1/दावेदार के संबंध में केवाईसी दस्तावेज7

(4) पासबुक के पहले दो पृष्ठ, या खाते का विवरण दिखाने वाला बैंक खाता विवरण, नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक 1/दावेदार के खाते का रद्द किया गया चेक।

(5) नामांकित व्यक्ति का मृत्यु का प्रमाण४, यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु के पूर्व हुई है/

(6) दावेदार के कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, यदि दावेदार नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक व्यक्ति के अलावा अन्य है/

(7) दावे के निर्वहन के लिए अग्रिम रसीद, विधिवत भरी हुई और हस्ताक्षरित/

सदस्य पंजिका / बैंक के डाटा से बैंक द्वारा भरा जाना

भाग 3: मृत बीमित सदस्य के संबंध में विवरण

1. बैंक खाता संख्या (बैंक के सीबीएस के अनुसार):
2. बैंक का नाम:
3. शाखा का नाम:
4. शाखा आईएफएस कोड:
5. मृतक सदस्य के पिता/पति का नाम:
6. जन्म तिथि (केवाईसी दस्तावेज के अनुसार):
7. बीमाकर्ता का नाम:
8. नामांकित व्यक्ति का नाम:
9. बैंक खाते से प्रीमियम के डेबिट की तिथि:
10. बीमा कंपनी के खाते में प्रीमियम जमा करने की तिथि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी PMJJBY नामांकन डेटा और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

स्थान :

तारीख:

(बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

दावे के निर्वहन के लिए अग्रिम रसीद

ऊपर उल्लिखित मेरे दावे के अनुमोदन की स्थिति में, मैं सदस्य श्री _____ के संबंध में बीमा को कवर करने वाली उक्त पॉलिसी के तहत अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान और निर्वहन में, _____ (बीमाकर्ता कंपनी का नाम) से केवल दो लाख रुपये की राशि स्वीकार करता हूं। /

गवाह के हस्ताक्षर

गवाह का नाम:

पता:

नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक 1/दावेदार के हस्ताक्षर

तारीख:

बैंक के अधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

बैंक का नाम:

डाली:

बैंक शाखा का कार्यालय की मोहर :

दावेदारों के लिए उपयोगी जानकारी

1 नियुक्त व्यक्ति - पीएमजेजेबीवाई नामांकन फॉर्म में मृतक सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति है जहां नामांकित व्यक्ति नाबालिग है।

2 दावेदार - जहां कोई नामांकन नहीं है या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु से पूर्व हो गई है, दावेदार वह कानूनी उत्तराधिकारी होगा जो एक सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

3 दुर्घटना का अर्थ है बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना। दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले को छोड़कर, पॉलिसी में शामिल होने/फिर से शामिल होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु के मामले में कोई दावा देय नहीं होगा।

4 मृत्यु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

(i) मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी)

(ii) मृतक व्यक्ति के संबंध में अस्पताल से छुट्टी का सारांश / प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो /

(iii) मृत व्यक्ति को देखने वाला अंतिम उपस्थित पंजीकृत चिकित्सक (भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो एवं जिस पर केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मृत खाताधारक के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा उसकी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(iv) मृत व्यक्ति के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /

5 दुर्घटना के कारण मृत्यु के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

(१) मृत्यु के प्रमाण के लिए ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई भी के साथ (ए) प्राथमिकी या पंचनामा और (बी) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ

(२) बीमित सदस्य के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार, आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /

(३) सर्पदंश/पेड़ से गिरने आदि दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के मामले में, अस्पताल के रिकॉर्ड जिनमें मृतक सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और मृत्यु का कारण अंकित हो ऊपर दिए (ए), (बी) और (सी) के स्थान पर मान्य होंगे /

6 यह जानकारी वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है।

7 नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार की पहचान के समर्थन में दस्तावेज - आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र [ईपीआईसी] या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है।

**साझेदार बीमाकर्ता द्वारा पीएमजेबीवाई दावों के निपटान के लिए बैंकों की जांच सूची
(सभी उपयुक्त दस्तावेजों को बैंक द्वारा सत्यापित और जांचा जाना है/रिक्त स्थान भरे जाने हैं)**

01	खाता धारक का नाम (बीमित सदस्य)	
02	मास्टर पॉलिसी नंबर	
03	बैंक खाता संख्या	
04	यह जाँचना और पुष्टि करना कि मृत्यु की तारीख पॉलिसी अवधि के भीतर आती है	
05	बैंक खाते से प्रीमियम डेबिट करने की तिथि: (पासबुक की प्रति संलग्न और प्रमाणित की जाए) बीमाकर्ता कंपनी को प्रेषण की तिथि:	____/____/_____ ____/____/_____
06	निम्नलिखित से लाभ हस्तांतरण की पात्रता की जांच करने के लिए: बैंक के साथ बीमित सदस्य का निम्नलिखित में से कोई केवाईसी दस्तावेज है : आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट योजना की पात्रता के अनुसार बीमित व्यक्ति की आयु	
07	यह जाँचने के लिए कि विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया गया है: a) बीमित सदस्य की मृत्यु का प्रमाण ⁴ (दुर्घटना के कारण मृत्यु का प्रमाण यदि मृत्यु पॉलिसी में शामिल होने / फिर से शामिल होने के 45 दिनों के भीतर है) ख) मृतक सदस्य और नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार का आधार नंबर और पैन नंबर 6	

**साझेदार बीमाकर्ता द्वारा पीएमजेजेबीवाई दावों के निपटान के लिए बैंकों की जांच सूची
(सभी उपयुक्त दस्तावेजों को बैंक द्वारा सत्यापित और जांचा जाना है/रिक्त स्थान भरे जाने हैं)**

	<p>ग) नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार के संबंध में केवाईसी दस्तावेज7</p> <p>घ) पासबुक के पहले दो पृष्ठ, या खाते का विवरण दिखाने वाला बैंक खाता विवरण, या नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार के खाते का रद्द किया गया चेक।</p> <p>ई) नामांकित व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण4, यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु के पूर्व हुई है</p> <p>च) दावेदार के कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, यदि दावेदार नामांकित व्यक्ति /नियुक्त व्यक्ति के अलावा अन्य है</p> <p>छ) दावे के निर्वहन के लिए अग्रिम रसीद, विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित</p>	
08	<p>नामांकित व्यक्ति /दावेदार के विवरण का सत्यापन</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नामांकन डेटा / फॉर्म से नामांकित व्यक्ति का विवरण देखें 2. पुष्टि करें कि नामांकित व्यक्ति नाबालिग नहीं है। नाबालिग नामांकित व्यक्ति के मामले में, नामांकन फॉर्म में बीमित सदस्य द्वारा नामांकित नियुक्त व्यक्ति दावेदार होगा 3. यदि कोई नामांकन नहीं है या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु से पूर्व हुई हो , तो दावेदार सदस्य के कानूनी वारिसों में से एक होना चाहिए 4. नामांकित व्यक्ति /दावेदार द्वारा जमा किए गए केवाईसी प्रमाण की जांच करें। स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट 5. नामांकित व्यक्ति /नियुक्त व्यक्ति/दावेदार के बैंक खाते के विवरण की जांच और पुष्टि उसकी पासबुक के पहले दो पृष्ठों, या 	

साझेदार बीमाकर्ता द्वारा पीएमजेजेबीवाई दावों के निपटान के लिए बैंकों की जांच सूची
(सभी उपयुक्त दस्तावेजों को बैंक द्वारा सत्यापित और जांचा जाना है/रिक्त स्थान भरे जाने हैं)

	बैंक खाते के विवरण में खाते के विवरण, या आवेदक के खाते के रद्द किए गए चेक से की जानी चाहिए।	
09	बैंक यह पुष्टि करे कि उक्त दावा बैंक द्वारा पहले बीमाकर्ता को अग्रेषित नहीं किया गया है	
10	बैंक दावा प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर दावा दस्तावेजों और हस्ताक्षरित चेकलिस्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भागीदार बीमाकर्ता की निर्दिष्ट ईमेल आईडी / ऐप पर अग्रेषित करेगा।	
11	बैंक जन सुरक्षा पोर्टल पर दावों के आंकड़े अपलोड करेगा।	

(हस्ताक्षर)

अधिकृत बैंक अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

कार्यालय की मुहर

टिप्पणियाँ:

- 1 नियुक्त व्यक्ति - पीएमजेजेबीवाई नामांकन फॉर्म में मृतक सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति है जहां नामांकित व्यक्ति नाबालिग है।
- 2 दावेदार - जहां कोई नामांकन नहीं है या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु से पूर्व हो गई है, दावेदार वह कानूनी उत्तराधिकारी होगा जो एक सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 3 दुर्घटना का अर्थ है बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना।

**साझेदार बीमाकर्ता द्वारा पीएमजेजेबीवाई दावों के निपटान के लिए बैंकों की जांच सूची
(सभी उपयुक्त दस्तावेजों को बैंक द्वारा सत्यापित और जांचा जाना है/रिक्त स्थान भरे जाने हैं)**

दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले को छोड़कर, पॉलिसी में शामिल होने/फिर से शामिल होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु के मामले में कोई दावा देय नहीं होगा।

4 मृत्यु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

(i) मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी)
(ii) मृतक व्यक्ति के संबंध में अस्पताल से छुट्टी का सारांश / प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो /
(iii) मृत व्यक्ति को देखने वाला अंतिम उपस्थित पंजीकृत चिकित्सक (भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो एवं जिस पर केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मृत खाताधारक के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा उसकी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(iv) मृत व्यक्ति के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /

5 दुर्घटना के कारण मृत्यु के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

(१) मृत्यु के प्रमाण के लिए ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई भी के साथ (ए) प्राथमिकी या पंचनामा और (बी) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ

(२) बीमित सदस्य के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार, आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /

(३) सर्पदंश/पेड़ से गिरने आदि दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के मामले में, अस्पताल के रिकॉर्ड जिनमें मृतक सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और मृत्यु का कारण अंकित हो ऊपर दिए (ए), (बी) और (सी) के स्थान पर मान्य होंगे /

6 यह जानकारी वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है।

7 नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक /दावेदार की पहचान के समर्थन में दस्तावेज - आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र [ईपीआईसी] या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)

दावा प्रक्रिया

1) बीमित सदस्य की मृत्यु की घटना के तुरंत बाद, दावा-सह-मुक्ति प्रपत्र नामांकित व्यक्ति (या यदि नामांकित व्यक्ति अवयस्क है, तो उसका/उसकी नियुक्त संरक्षक व्यक्ति¹ और नामांकन न होने की स्थिति में या नामांकित व्यक्ति की बीमित सदस्य से पूर्व मृत्यु हो जाने पर, दावेदार² बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी) द्वारा संबंधित बैंक शाखा को, अधिमानतः मृत्यु की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा /

2) पॉलिसी शुरू होने/फिर से शामिल होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर मृत्यु के मामले में (पॉलिसी से बाहर निकलने के बाद नए नामांकन के मामले में या पॉलिसी के देर से नवीनीकरण के मामले में), दावा देय नहीं होगा, सिवाय इसके कि दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 3.

3) बैंक को यह जाँचना और पुष्टि करना है कि दावा प्रपत्र निम्नानुसार सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया गया है:

क) बीमित सदस्य की मृत्यु का प्रमाण⁴ (या, योजना में शामिल होने/फिर से शामिल होने के 45 दिनों के भीतर दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में, आकस्मिक मृत्यु का प्रमाण 5):

ख) मृतक सदस्य और नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक /दावेदार का आधार नंबर और पैन नंबर 6

ग) केवाईसी दस्तावेज⁷ नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक /दावेदार के संबंध में, जैसा भी मामला हो

घ) पासबुक के पहले दो पृष्ठ, या खाते का विवरण दिखाने वाला बैंक खाता विवरण, या नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक /दावेदार के खाते का रद्द किया गया चेक, जैसा भी मामला हो

च) नामांकित व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण, यदि नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित व्यक्ति की मृत्यु पूर्व कर हुई है

छ) कानूनी उत्तराधिकारी होने का प्रमाण, यदि दावेदार नामांकित व्यक्ति /नियुक्त संरक्षक व्यक्ति के अलावा अन्य है

ज) दावे के निर्वहन के लिए अग्रिम रसीद, विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित

4. बैंक के अधिकृत अधिकारी बीमित सदस्य के खाते की जांच करेंगे और ऑटो-डेबिट विवरण और खाता विवरण, नामांकन, प्रीमियम का डेबिट / बीमाकर्ता को प्रीमियम प्रेषण की पुष्टि करेंगे और बीमाधारक सदस्य के विवरण को दावा फॉर्म में नामांकन डेटा / बैंक के रिकॉर्ड के आधार पर भरेंगे । वह दावा प्रपत्र में दी गई जानकारी की सत्यता को और उक्त दावे के लिए विधिवत पूर्ण जांच सूची को प्रमाणित करेगा।

5. बैंक दावेदार की पहचान स्थापित करने के लिए दावेदार के केवाईसी दस्तावेजों की जांच करेगा और पुष्टि करेगा कि उक्त बीमित सदस्य के संबंध में दावा बैंक द्वारा भागीदार बीमाकर्ता को नहीं भेजा गया है।
6. दावा जमा करने के 7 (सात) दिनों के भीतर बैंक दावा दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भागीदार बीमाकर्ता की निर्दिष्ट ईमेल आईडी / ऐप पर अग्रेषित करेगा।
7. बीमाकर्ता सत्यापित करेगा और पुष्टि करेगा कि बीमाधारक के लिए प्रीमियम प्रेषित कर दिया गया है और बीमाधारक को मास्टर पॉलिसी में बीमित व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है।
8. एक उपयुक्त डुप्लीकेशन तंत्र के माध्यम से बीमाकर्ता यह भी पुष्टि करेगा कि पीएमजेबीवाई के तहत उक्त दावे का भुगतान किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा भी किया गया है या नहीं, यदि उसका भुगतान कर दिया गया है, तो बीमाकर्ता दावे को अस्वीकार कर सकता है।
9. बैंक से प्राप्त दावा प्राप्ति होने के 7 (सात) दिनों के भीतर उस बीमा कंपनी द्वारा संसाधित किया जाएगा जिसने बैंक के लिए मास्टर पॉलिसी जारी की है।
10. स्वीकार्य दावा राशि नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार, जैसा भी मामला हो, के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
11. यदि कोई नामांकन नहीं है या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु से पूर्व हुई हो, तो स्वीकार्य दावा राशि का भुगतान बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को सक्षम न्यायालय / प्राधिकरण से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
12. दावे के भुगतान या अस्वीकार किए जाने, दोनों स्थितियों में, बीमाकर्ता बैंक को एक ईमेल/ऐप-आधारित सूचना और नामांकित व्यक्ति के मोबाइल पर एक टेक्स्ट संदेश अलर्ट भेजेगा, इसके अलावा इसे जन सुरक्षा पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।
13. बैंक के लिए बीमाकर्ता कंपनी को विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र अग्रेषित करने की अधिकतम समय सीमा 7 (सात) दिन है और बीमाकर्ता कंपनी के लिए दावा स्वीकृत करने और उसके बाद धन का वितरण करने की अधिकतम समय सीमा 7 (सात) दिन है।
14. यदि बैंक ने साझेदार बीमाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर प्रीमियम (बीमित सदस्य के खाते से स्वतः डेबिट) नहीं जमा किया है, तो बीमाकर्ता द्वारा दावे की देयता बैंक को हस्तांतरित की जा सकती है। किसी भी मामले में दावा खारिज नहीं किया जाएगा यदि प्रीमियम देय तिथि को या उससे पहले बीमित सदस्य के खाते से डेबिट किया गया था लेकिन निर्धारित समय के भीतर बीमाकर्ता को नहीं भेजा गया था।
15. चल रही महामारी को देखते हुए मृत्यु के वैकल्पिक प्रमाण को स्वीकार करने की छूट छह महीने (अर्थात 30.11.2021 तक) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक वैध होगी। इसके अलावा, इन छूटों के आधार पर आज तक लंबित दावों का निपटारा भी किया जा सकता है।

टिप्पणियाँ:

- 1 नियुक्त व्यक्ति - पीएमजेजेबीवाई नामांकन फॉर्म में मृतक सदस्य द्वारा नामित व्यक्ति है जहां नामांकित व्यक्ति नाबालिग है।
- 2 दावेदार - जहां कोई नामांकन नहीं है या नामांकित व्यक्ति की मृत्यु बीमित सदस्य की मृत्यु से पूर्व हो गई है, दावेदार वह कानूनी उत्तराधिकारी होगा जो एक सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- 3 दुर्घटना का अर्थ है बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना। दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले को छोड़कर, पॉलिसी में शामिल होने/फिर से शामिल होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु के मामले में कोई दावा देय नहीं होगा।

4 मृत्यु के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

- (i) मृत्यु प्रमाण पत्र (स्थानीय क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी)
- (ii) मृतक व्यक्ति के संबंध में अस्पताल से छुट्टी का सारांश / प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो /
- (iii) मृत व्यक्ति को देखने वाला अंतिम उपस्थित पंजीकृत चिकित्सक (भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक) द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें उसका नाम, पिता / पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और कारण निर्दिष्ट हो एवं जिस पर केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मृत खाताधारक के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा उसकी मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
- (iv) मृत व्यक्ति के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /

5 दुर्घटना के कारण मृत्यु के समर्थन में दस्तावेज़ निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

- (१) मृत्यु के प्रमाण के लिए ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेजों में से कोई भी के साथ (ए) प्राथमिकी या पंचनामा और (बी) पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ
- (२) बीमित सदस्य के संबंध में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार/तालुकदार, आदि) द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो योजना के लिए दावा निपटान प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र पर हो /
- (३) सर्पदंश/पेड़ से गिरने आदि दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु के मामले में, अस्पताल के रिकॉर्ड जिनमें मृतक सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पता और मृत्यु की तारीख, समय और मृत्यु का कारण अंकित हो ऊपर दिए (ए), (बी) और (सी) के स्थान पर मान्य होंगे /

6 यह जानकारी वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है।

7 नामांकित व्यक्ति /नियुक्ति संरक्षक /दावेदार की पहचान के समर्थन में दस्तावेज - आधार कार्ड या चुनावी फोटो पहचान पत्र [ईपीआईसी] या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट हो सकता है।
